राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज

बाँदा (उ०प्र०) 210201

निविदा संख्या –रा0इंजी0का0–बाँदा / रजि0 / 2019–586

दिनांक–08 नवम्बर, 2019

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाँदा में स्थापित कैफेटेरिया के संचालन हेतु निविदा

Scanned by CamScanner

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाँदा (उ०प्र०) 210201

निविदा की विस्तृत शर्तें

(1) निविदा 22.11.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक सहायक कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित की जा सकती है। उक्त निविदा दिनांक 22.11.2019 को अपरान्ह 03:30 बजे सहायक कुलसचिव कार्यालय में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

(2) संस्थान की वेबसाइट www.recbanda.ac.in पर उपलब्ध निविदा फार्म को भरकर रू० 500/- के ड्राफ्ट, जो कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाँदा के पक्ष में देय होगा, के साथ जमा करना होगा जिसकी धनराशि वापस देय नही होगी।

(3) चयनित फर्म द्वारा रू० 50,000/- अग्रिम जमानत धनराशि के रूप में कॉलेज में जमा किया जायेगा।

(4) निविदा स्वीकृति के पश्चात फर्म को 100/- के स्टाम्प पर कार्यालय की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

(5) एक संस्था/फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा डाली जायेगी।

(6) कैफेटेरिया का आवंटन एक वर्ष के लिये होगा एवं कार्य व्यवहार संतुष्ट पूर्ण होने पर समिति द्वारा विचार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर आवंटन अवधि पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है।

(7) जी०एस०टी० पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।

(8) आयकर पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(9) खाद्य विभाग में पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(10) पिछले दो वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(11) ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(12) कॉलेज द्वारा ठेकेदार को किचेन, मेज, कुर्सी, पंखे, ट्यूबलाइट, ए०सी०, इक्जास्ट, इन्सेक्ट किलर, पानी की सप्लाई आदि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। गैस चूल्हा, क्राकरी, बर्तन, फ्रिज आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जायेगी और टूट-फूट आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।

(13) कैफेटेरिया समिति द्वारा किसी भी समय खाद्य सामग्री की मात्रा, मूल्य का निर्धारण किया जायेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।

(14) ठेकेदार द्वारा कैफेटेरिया कर्मचारियों की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

(15) ठेकेदार के द्वारा श्रम विभाग के निर्देशानुसार कोई भी 18 वर्ष से कम के कर्मचारी नही रखे जायेगें।

(16) कैफेटेरिया की सफाई की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

(17) कैफेटेरिया समस्त कार्य दिवसों में अपराहन 2:00 बजे से रात्रि 2:00 बजे तक खोली जायेगी। संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार समय परिवर्तित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त कॉलेज प्रशासन के निर्देशानुसार अवकाश दिवसों में यदि आवश्यकता पड़ती है तो कालेज के अतिथियों आदि हेतु जलपान, भोजन आदि की व्यवस्था की जायेगी।

(18) निविदा में निर्धारित कैफेटेरिया के किराये को ठेकेदार द्वारा लेखा कार्यालय में ही डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा संस्थान के ERP के माध्यम से आनलाइन जमा किया जायेगा। मासिक किराया माह की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।

(19) यदि किसी कारणवश किराया समय से जमा नही किया गया तो उसे प्रतिदिन रू० 50/- विलम्ब शुल्क किराये के साथ जमा करना होगा। यदि फिर भी समय से किराया नही जमा किया जाता तो किराये की धनराशि को जमानत राशि में से समायोजित किया जा सकता है एवं अनुबन्ध भी रद्द किया जा सकता है।

(20) अधिकतम किराया देने वाले ठेकेदार फर्म को कार्यादेश जारी किया जायेगा।

(21) कैफेटेरिया संचालन में होने वाले विद्युत व्ययभार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

(22) उच्च गुणवत्ता के आटे, चावल आदि का प्रयोग किया जायेगा।

(23) कैफेटेरिया संचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैफेटेरिया समिति द्वारा वर्णित ब्राण्ड के अतिरिक्त अन्य कोई ब्राण्ड की कैफेटेरिया में सामग्री नही रखी जायेगी।

(24) सामग्रियों की कैफेटेरिया में नियमित रूप से उपलब्धता होनी चाहिये।

(25) खाद्य सामग्रियों के निर्माण में शुद्ध जल का प्रयोग किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(26) खाद्य सामग्रियों के निर्माण में जले हुये तेल का प्रयोग नही किया जायेगा।
(27) निर्धारित सामग्रियों के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की बिक्री हेतु कॉलेज प्रशासन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
(28) ठेकेदार को कैफेटेरिया परिसर में स्वच्छता बनाये रखने पर विशेष ध्यान रखना होगा, साथ ही वॉश वेसिन पर हैण्ड वॉश एवं तौलिया की भी व्यवस्था करनी होगी।
(29) कैफेटेरिया समिति द्वारा खाद्य पदार्थो के शुद्ध व साफ होने का परीक्षण समय–समय पर किया जायेगा एवं कैफेटेरिया समिति द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले सुझावों एवं निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(30) निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई भी सामान नही बेचा जा सकेगा।
(31) प्रस्तावित दरें कैफेटेरिया के बोर्ड में प्रदर्शित की जायेगी।
(32) ठेकेदार द्वारा सभी शासकीय, प्रशासकीय नियमों का पालन करना होगा।
(33) किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति माननीय निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
(34) किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बाँदा होगा।

यदि उपरोक्त शर्तो का पालन कैफेटेरिया ठेकेदार द्वारा नही किया जायेगा तो कैफेटेरिया संचालन समिति द्वारा आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

Scanned by CamScanner

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाँदा (उ०प्र०) 210201

निविदा प्रपत्र–1

1. निविदादाता/फर्म का पूरा नामः...

2. निविदादाता/फर्म का पूरा पताः...

3. दूरभाष नं० एवं फैक्स नं०:...

4. ई–मेल पताः...

5. फर्म का संगठन (एकल स्वामित्व/कंपनी/पार्टनरशिप फर्म)...
(पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डील की प्रति संलग्न की जाये)

6. पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

   (अ) जी०एस०टी०:...

   (ब) आयकर पंजीकरण संख्याः...

   (स) खादय विभाग में पंजीकरण संख्याः...

7. फर्म का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें):...

8. आयकर रिटर्न की प्रति (कम से कम दो वर्ष की हो):...

9. अन्य कोई विवरण यदि फर्म के पास होः...

10. धरोहर/जमानत धनराशि का विवरणः–

    बैंक ड्राफ्ट संख्याः–...

    बैंक का नामः–...

    धनराशिः–...

घोषणा

मै/हम घोषणा करते है कि उपरोक्त सभी कथन मेरे/हमारे संज्ञान में पूर्णतया सत्य है। किसी भी सूचना के असत्य/भ्रामक होने की स्थिति में कॉलेज द्वारा हमारी फर्म के विरूद्ध लिये गये निर्णय को स्वीकार करेंगें तथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील नही करेंगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म की सील

Scanned by CamScanner

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाँदा (उ०प्र०) 210201

निविदा प्रपत्र–2

क्र०सं०	कैफेटेरिया का स्थान एवं माप	मासिक किराया धनराशि (अंको में)	मासिक किराया धनराशि (शब्दों में)
01	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बाँदा (152.4 वर्ग मी0)		

निविदादाता फर्म का हस्ताक्षर..

निविदादाता फर्म का नाम..

Scanned by CamScanner